

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की
दिनांक-09.06.2026 को समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति**

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में महात्मा गाँधी सभागार कलेक्ट्रेट फतेहपुर में दिनांक 09.06.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें-

- श्री पवन कुमार मीना, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, फतेहपुर।
- श्री अनुराग गौतम, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री शिवम यादव, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री कृष्ण कुमार खरे, डी०पी०एम०, मेधज टेक्नो कान्सेप्ट, कलस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
- श्री राजमुनि यादव, जिला समन्वयक, जिला परियोजना, प्रबन्धन इकाई, फतेहपुर।
- श्री स्वयं नारायण, अवर अभियन्ता (E&M), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री प्रदीप कुमार सिंघल, डी०जी०एम०, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रो० मैनेजर, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री लखेन्दर सहनी, मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री अचल कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर सैडिगो सबलेट मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री सुभाष कुमार, मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा, जनपद यूनिट फतेहपुर।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का विवरण व गत बैठक के निर्देशों का अनुपालन प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत है-

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	दिनांक	कुल योजना	नलकूप		बाउण्ड्रीवॉल		सोलर		विद्युत		पम्प हाउस	
				लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मे० पावरमेक-मे० भूस्थनम (जे०वी०)	12.05.2026	425	452	451	452	328	341	209	111	90	452	351
		08.06.2026	425	452	451	452	331	341	211	111	94	452	351
2	मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)	12.05.2026	170	190	189	190	179	161	132	29	27	190	182
		08.06.2026	170	190	189	190	179	161	132	29	27	190	182
3	मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	12.05.2026	67	77	73	77	70	39	31	38	19	77	69
		08.06.2026	67	77	73	77	71	39	31	38	20	77	69
	कुल योग			719	713	719	581	541	374	178	141	719	602

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	पाइप लाइन (कि०मी०)		ओ०एच०टी०		एफ०एच०टी०सी०		रोड रेस्टोरेशन		रेगुलर वाटर सप्लाई		हर घर जल (ग्रा०)	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	मे० पावरमेक-मे० भूस्थनम (जे०वी०)	5345	5095	427	205	242945	222328	733	280	425	155	733	81
		5345	5102	427	208	242945	222328	733	290	425	170	733	87
2	मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)	1528	1517	170	113	90876	89959	325	150	170	101	325	87
		1528	1517	170	113	90876	89959	325	156	170	101	325	94
3	मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	954	891	68	32	43771	40774	122	65	67	20	122	12
		954	894	68	34	43771	40774	122	70	67	25	122	15
	कुल योग	7827	7513	665	355	377592	353034	1180	516	662	296	1180	196

उक्त प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं/एजेन्सियों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये निम्नवत निर्देश दिये गये-

- मे0 पावरमेक भूस्थनम (जे0वी0)- मे0 पावरमेक भूस्थनम (जे0वी0) द्वारा रेगुलर वाटर सप्लाई 155 ग्रामो मे की जा रही थी गत बैठक मे 15 और ग्रामो का लक्ष्य दिया गया था जिसे पूरा कर लिया गया है।
- रोड रेस्टोरेशन का कार्य 30 जून तक पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य दिया गया था अभी तक समीक्षा बैठक के बाद मात्र 10 गावों मे रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि सभी 425 योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने हेतु दिया गया है जिसकी कार्ययोजना एजेन्सी द्वारा बना कर दिया गया है जिसे 15 अगस्त तक पूर्ण करना। रेगुलर वाटर सप्लाई की जाँच के सम्बन्ध मे बताया गया कि ऑपरेटर द्वारा सुबह शाम रेगुलर वाटर सप्लाई का अपडेट दिया जाता है।
- अवशेष एफ0एच0टी0सी को पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- ओ0एच0टी0 की गुणवत्ता के सम्बन्ध मे अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि इसकी संयुक्त जाँच विभाग, टी0पी0आई0 व एजेन्सी तीनों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व मे0 पावरमेक भूस्थनम (जे0वी0)

- मे0 गायत्री रैमकी (जे0वी0)- मे0 गायत्री रैमकी लि0 द्वारा एक भी ग्राम मे रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं बढ़ायी गयी है। मे0 गायत्री रैमकी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके दो सबलेट प्रमा इंजी0 व रेडियांस को हटा दिया गया है जिससे कार्य प्रभावित हुआ है। निर्देशित किया गया कि इनके विरुद्ध आज की बैठक के क्रम मे पत्र भेजा जायें।
- रोड रेस्टोरेशन मात्र 6 गावें मे बढ़ाया गया है इसका भी लक्ष्य पूर्ण नहीं किया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जो भी ऑकड़े प्रस्तुत किये गये उनका सत्यापन कर लिया जाये तथा जो भी कमियां पाई जाये उन्हें सुधारने हेतु नोटिस दी जाये।
- जिन योजनाओं मे सोलर/विद्युत का कार्य पूर्ण हो चुका है उनमे छोटे-छोटे कार्यों को पूर्ण कराते हुये रेगुलर वाटर सप्लाई किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे गायत्री रैमकी (जे0वी0) लि0 द्वारा एक भी गावें मे रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं बढ़ाई गयी।
- गायत्री रैमकी (जे0वी0) लि0 द्वारा एक भी गावें मे रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं बढ़ायी गयी जबकि इन्हे 5 गावों मे रेगुलर वाटर सप्लाई बढ़ाय जाने हेतु निर्देशित किया गया था गायत्री रैमकी लि0 के प्रो0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि इस माह 5 गावों मे रेगुलर वाटर सप्लाई बढ़ायी जायेगी इनका जवाब सन्तोषजनक नहीं पाया गया और नोटिस दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व मे0 गायत्री रैमकी (जे0वी0)

- जी0ए0 इन्फ्रा बाबा- जी0ए0 इन्फ्रा बाबा द्वारा मात्र 5 गावों मे रेगुलर वाटर सप्लाई बढ़ायी गई हैं। रोड रेस्टोरेशन का कार्य 30 जून तक पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य दिया गया था अभी तक समीक्षा बैठक के बाद मात्र 05 गावों मे रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है। अवशेष ग्रामो मे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- NC-कार्य की गुणवत्ता Critical NC की समीक्षा के दौरान पाया गया कि पावरमेक भूस्थनम (जे0वी0) द्वारा 2 Critical NC का Compliance किया गया है परन्तु जी0ए0 बाबा इन्फ्रा व गायत्री रैमकी द्वारा एक भी Critical NC का Compliance नहीं किया गया। गायत्री रैमकी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रमा इंजी0 की 22 एवं रेडियांस की 16 स्कीम दूसरी एजेन्सी को दिया गया है परन्तु अभी तक उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। जी0ए0 बाबा इन्फ्रा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 2 Critical NC का Compliance किया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि Critical NC का Compliance न करने पर नोटिस दी जायें तथा Critical NC व मेजर NC की समीक्षा प्रति सप्ताह की जाये तथा नोटिस दी जाये। पावरमेक भूस्थनम द्वारा केवल 2 ही Critical NC का Compliance किया गया है जबकि इन्हे 10 दिन मे पूरी Compliance कर लेना चाहिये था निर्देशित किया गया कि अगले 15 दिनों मे सभी Critical NC का Compliance करना सुनिश्चित करें। जिस पर पावरमेक भूस्थनम के प्रतिनिधि द्वारा 1 माह का समय दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)

- प्याऊ-जनपद मे सार्वजनिक स्थानो मे जनमानस हेतु प्याऊ लगाने के सम्बन्ध मे अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया। निर्देशित किया गया कि 1000 नीले ड्रम काटकर समस्या ग्रस्त स्थानो पर जानवरो व विडियो के लिये पानी भर कर रख दिया जाये तथा उसकी सुरक्षा हेतु आस-पास के किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हुये जनता से सर्मक कर, जागरूक किया जाये।

(कार्यवाही- समस्त कार्यदायी संस्था)

- पावरमेक भूस्थनम के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मल्टी विलेज (जी0पी0) स्कीम मे प्रधान व ग्रामवासी अलग से ओ0एच0टी0 की मांग कर रहे है जबकि डी0पी0आर0 मे इसका प्रावधान नहीं है तथा कार्य मे व्यावधान किया

जा रहा है निर्देशित किया गया कि ऐसे ग्राम के लोगो को समझाया जायें व संतुष्ट किया जाये तथा जिन योजनाओं में पानी दूर तक जा रहा है उसे दिखा कर समझाया जाये।

- पावरमेक भूस्थान के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 35 ग्रामों में हर घर जल आपूर्ति हो रही है किन्तु प्रधान द्वारा उसे प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। जिससे वह ग्राम O&O में नहीं जा पा रहे हैं। निर्देशित किया गया कि जिन गावों में इस प्रकार की समस्या है उन्हें मुख्य विकास अधिकारी महोदय को बता कर समस्या का निवारण कराया जाये।

(कार्यवाही- मे0 पावरमेक भूस्थान (जे0वी0)

- जिन योजनाओं में कार्य में व्यवधान किया जा रहा है उन योजनाओं में एस0डी0एम व फोर्स के माध्यम से कार्य करवाया जाये।

(कार्यवाही- समस्त कार्यदायी संस्था)

- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा जो भी निर्देश दिये गये हैं उन्हें कड़ाई से अनुपालन किया जाये। जिन पेयजल योजनाओं में 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक कार्य किया गया है उनमें अगली बैठक तक कितनी योजनाओं में छोटे-छोटे कार्य पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गई है उनका ब्रेकअप बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
- सरकारी भवनों/सार्वजनिक जैसे-स्कूल, आगनवाडी, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, ए0एन0एम0 सेंटर आदि में कनेक्शन दिये जाने की सूची बना ली जाये तथा उनमें से कितने में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उनकी भी सूची बना प्रस्तुत की जाये।
- यदि किसी योजना में चोरी की घटना होती है तो उसकी तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)

- जिन योजनाओं में पाइप लाइन डालने हेतु सड़को/रास्तों को खोदा गया था उन्हें बरसात के पूर्व मोटरेबल कर दिया जाये। ताकि कोई दुर्घटना न हो यदि कहीं भी रोड़ रेस्टोरेशन/मोटरबल न होने के कारण मानव/पशु की क्षति होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा तथा प्राथमिकी दर्ज कराते हुये क्षति पूर्ति करायी जायेगी।

(कार्यवाही- समस्त कार्यदायी संस्था)

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों का अवशेष कनेक्शन पूर्ण किया जायें तथा जिनका कनेक्शन हो चुका है उनका आधार लेकर डेटा फीड किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त आई0एस0एम0 संस्थायें)
(इसी के साथ बैठक सघन्यवाद समाप्त हुई।)

(निधि गुप्ता बत्स)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
फतेहपुर।

पृ0सं0: 1139 / M-29 / 02 दिनांक: 11-06-2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, फतेहपुर।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
7. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU), फतेहपुर।
8. डी0पी0एम0, मे0 मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 प्रयागराज, क्लस्टर फतेहपुर।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 गायत्री-रैमकी (जे0वी0) जनपद-फतेहपुर।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 पावरमेक/भूस्थान (जे0वी0) जनपद यूनिट फतेहपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 बाबा जी0ए0इन्फ्रा (जे0वी0) जनपद यूनिट फतेहपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
फतेहपुर।